

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी जिला अलवर।

पीठासीन अधिकारी :- कैलाश चन्द शर्मा द्वितीय (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 01/200

तारीख दायर :- 14/08/2018

उनवान

1. रामगोपाल पुत्र श्योराम जाति मीना निवासी बल्लूवास तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।
-वादी।

बनाम

1. राजेश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीना निवासी बल्लूवास तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।
2. विजय पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीना निवासी बल्लूवास तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।
3. शंकर पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीना निवासी बल्लूवास तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।
4. राजकुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीना निवासी बल्लूवास तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।
5. आकाश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीना निवासी बल्लूवास तहसील थानागाजी जिला अलवर।
6. रामकेश पुत्र रामप्रताप जाति मीणा निवासी बल्लूवास तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

-असल प्रतिवादीगण।

7- राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार थानागाजी भू-स्वामी तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

- तकमीली प्रतिवादीगण।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

। दावा अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955 ।

1. श्री महेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट यादी।

2. कोई उपस्थित नहीं एडवोकेट प्रतिवादीगण।

न्यायालय द्वारा :-

निर्णय


दिनांक:- 05.02.2019

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पूर्व में प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार थानागाजी से कुरेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार थानागाजी द्वारा प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट पर किसी के द्वारा कोई एतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः दावा वादी कुरेजात रिपोर्ट के आधार पर निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम पक्षकारान	विवादित आराजी वाकै बल्लूवास
1.	रामगोपाल पुत्र श्योराम कौम मीना सा. देह खातेदार राहिन पी.एन.बी. शाखा गोला का बास मु0वि0क0 - वादी।	आ.ख.नं. 771 रकबा 0.04 है0, 772 रकबा 0.13 है0, 770/1 रकबा 0.05 है0 किता 3 रकबा 0.22 है0
2.	लक्ष्मीनारायण, रामप्रताप पुत्र धन्नाराम उर्फ रामधन हि0 1/2 जाति मीना सा. देह खातेदार प्रतिवादीगण	आ.ख.नं. 768 रकबा 0.20 है0 769 रकबा 0.14 है0 770/2 रकबा 0.10 है0 मिा 3 रकबा 0.44 है0

तहसीलदार थानागाजी उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। नक्शा ट्रैस डिक्री का जुज रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया।


कैलाश चन्द्र शर्मा (आर.ए.एस.)
थानागाजी (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी थानागाजी